

कार्यालय: गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
संख्या 1079 / गो0वि0प्रा0 / 2017-18 दिनांक 28 / 4 / 2017
डिमाण्ड / शर्तें

सेवा में,

आर्किटेक्चरल इन्फासिटी प्रा0लि0,
जरिए डाक्टर संजय मनी त्रिपाठी,
पुत्र स्व0 बी0एन0एम0 त्रिपाठी,
मुहल्ला-मोहददीपुर, गोरखपुर।

महोदय,

कृपया आप द्वारा पूर्णता प्रमाण हेतु प्रस्तुत शमन विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पूर्व स्वीकृत मानचित्र सं0-1698/2013 जोकि मोहल्ला मोहददीपुर के आराजी सं0-396 मि0, 397, 398 एवं 399/3 पर स्वीकृत है। आप द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र तकनीकी रूप से ठीक पाये जाने तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में निम्न शर्तों का पालन 3 माह के अन्दर पूर्ण करने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, के साथ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25.04.2017 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शर्तें:-

1- अग्निशमन सुरक्षा:- प्रस्तुत मानचित्र में भवन की ऊँचाई 37.00 मीटर दर्शायी गयी है। इस सम्बन्ध में भवन के पूर्णता हेतु कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्रांक-अ-24/एफ.एस.-2013 दिनांक 20-12-2013 के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है परन्तु भवन के कम्प्लीशन हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र पक्ष द्वारा देना होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी पक्ष द्वारा दिया जाना होगा।

2- पर्यावरणीय अनापत्ति:- इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमतीनगर लखनऊ के पत्रांक-एफ.-73586/सी.-6/एन.ओ.सी./220/ 2016/गोरखपुर दिनांक 10-02-2016 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0-2910 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 एवं अन्य लागू प्राविधानों, नियमों एवं शासनादेशों का पालन किया जाना होगा। अवगत कराना है कि उक्त अधिसूचना के पृष्ठ सं0-16 पर उल्लिखित Category-1 (5,000 sqmt. To less than 20,000 sqmt.) के क्षेत्रफल पर लागू प्राविधानों के सम्बन्ध में बिल्डर्स द्वारा स्थल पर कार्यों के सम्बन्ध में प्रपत्र (Self declaration) एवं ड्राइंग तथा डिजाइन प्रस्तुत किये गये हैं:-

1) Topography & Natural Drainage :-

2) Water Conservation, Rain water Harvesting and Ground water recharge (Self declaration Attached)

3) Waste management (Self declaration) Solid & sewage (S.T.P.)

4) Air quality & Noise.

5) Energy.

6) Green Cover.

इस सम्बन्ध में नियमों एवं शर्तों का पूर्ण अनुपालन बिल्डर्स द्वारा किया जायेगा। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में पूर्णता प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में बिल्डर्स स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- 3- सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र:- इस सम्बन्ध में कराये जा रहे कार्यों की ड्राइंग उपलब्ध करायी गयी है जिसका शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 4- पार्किंग:- मेकेनाइज्ड पार्किंग का भी प्राविधान करना आवश्यक होगा।
- 5- लिफ्ट अधिष्ठापन:- लिफ्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराकर प्रमाण पत्र दिया जाना होगा।
- 6- विद्युत आपूर्ति:- विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक ट्रांसफार्मर आदि का इंस्टालेशन कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा।
- 7- शुल्कों की गणना निम्नवत् है:-

शमन शुल्क:- Rs. 28,16,922.00

निरीक्षण शुल्क:- Rs. 3114.00

सेस शुल्क:- Rs. 86411.00

शेल्टर फीस:- Rs. 15,78,764.00

मानचित्र शुल्क:- Rs. 15568.00

प्रार्थना पत्र शुल्क:- Rs. 5.00

कुल लेय शुल्क = Rs. 45,00,784.00

अतः कुल लेय शुल्क = Rs. 45,00,784.00 (पैंतालिस लाख सात सौ चौरासी रुपये) मात्र प्राधिकरण कोष में जमा करने क्षतिपूर्ति बन्धक-पत्र एवं शपथ-पत्र इस पत्र के प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे शमन मानचित्र के निर्गत की कार्यवाही की जा सकें।

4/17

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।